न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सत्य नारायण—I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 55/2018 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2018/00059**
दायर दिनांक :— 25.04.2018 **निर्णय दिनांक :— 01.05.2026**

1. मोहम्मदखां पुत्र कमरदीन जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
2. जानमोहम्मद पुत्र कमरदीन जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
3. रहीमबक्स पुत्र कमरदीन जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
4. कासम पुत्र कमरदीन जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

1. इमामदीन पुत्र निजामदीन जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बाप तहसील बाप जिला फलोदी
3. मरहूम हाजने फातिमा शिक्षण संस्थान जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. वादीगण
2. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रति.सं. 1
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम जोड़ पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप में खसरा नम्बर 325 रकबा 7—02 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज है इसी अनुसार उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है। वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की राजस्व अभिलेख में सामलाती दर्ज है। वादीगण अपने एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 की और से विजय तंवर ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने प्राथमिक डिक्री जारी करने में सहमति प्रदान की गई। वादी के साक्ष्य कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनकर ग्राम जोड़ पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप में खसरा नम्बर 325 रकबा 7--02 बीघा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में मरहूम हाजन फातिमा शिक्षण संस्था जोड़ भी वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार होने से प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव में इनका भी हिस्सा अंकित किया गया है। इनका भी वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा निहित होने से वाद पत्र में पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक है। मरहूम हाजन फातिमा शिक्षण संस्थान जोड़ को प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। पत्रावली अन्तिम बहस में रखी गई।

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिकी एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अक्षरशः पालना करते हुवे तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम जोड़ पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप में खसरा नम्बर 325 रकबा 7–02 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	इमामदीन पुत्र निजामदीन जाति सिन्धी मुसलमान निवासी जोड़ खातेदार	जोड़	325	0.5746 हैक्टेयर	नहरी–दोयम
2	कासम पुत्र कमरदीन 1/4, जानमोहम्मद पुत्र कमरदीन 63/284, मोहम्मद खां पुत्र कमरदीन 1/4, रहीमबक्श पुत्र कमरदीन 1/4 जाति सिन्धी मुसमान सा. देह खातेदार, मरहुम हाजन फातिमा शिक्षण संस्थान जोड़ हिस्सा 2/71 खातेदार	जोड़	325 325	0.3897 हैक्टेयर 0.1850 हैक्टेयर	नहरी–दोयम

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

Satya

(सत्य नारायण, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सत्य नारायण—I (आर.ए.एस.)

1. मोहम्मदखां पुत्र कमरदीन जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
2. जानमोहम्मद पुत्र कमरदीन जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
3. रहीमबक्स पुत्र कमरदीन जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
4. कासम पुत्र कमरदीन जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

1. इमामदीन पुत्र निजामदीन जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बाप तहसील बाप जिला फलोदी
3. मरहूम हाजने फातिमा शिक्षण संस्थान जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 55/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण—I, पीठासीन अधिकारी व हाजिर श्री राजेन्द्रसिंह सौंलकी मिनजानिब मुदई व विजय तंवर मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम जोड़ पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप में खसरा नम्बर 325 रकबा 7—02 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :—

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	इमामदीन पुत्र निजामदीन जाति सिन्धी मुसलमान निवासी जोड़ खातेदार	जोड़	325	0.5746 हैक्टेयर	नहरी—दोयम
2	कासम पुत्र कमरदीन 1/4, जानमोहम्मद पुत्र कमरदीन 63/284, मोहम्मद खां पुत्र कमरदीन 1/4, रहीमबक्श पुत्र कमरदीन 1/4 जाति सिन्धी मुसमान सा. देह खातेदार, मरहुम हाजन फातिमा शिक्षण संस्थान जोड़ हिस्सा 2/71 खातेदार	जोड़	325 325	0.3897 हैक्टेयर 0.1850 हैक्टेयर	नहरी—दोयम

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.05.2026 को जारी की गई।

(सत्य नारायण—I, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।